यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार** के माह 01/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05/04/2018 से 10/04/2018 तक श्री बी0डी0 सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्विनी कुमार पांडे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मौ0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09/01/2017 से 17/01/2017 तक श्री शशिकांत पांडे, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 06/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सयुक्त चिकित्सालय रूड़की का सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारंभिक शेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**गैर स्थापना**	
	❖ स्थापना	**गैर स्थापना**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2015-16	0.00	46.28	509.43	509.43	295.15	258.20	----	83.23
2016-17	0.00	83.23	563.48	563.48	193.11	273.41	-----	2.93
2017-18	0.00	2.93	694.34	694.34	156.11	157.64	----	1.4

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया केंद्रान्श (क) अन्य प्राप्तिया (ग) राजयांश (ख)			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**ब्याज**
2015-16	--	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "स" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
3. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0 एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के) कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते (अधिनियम) 1971 डी पी सी एक्ट , (1971 की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1- 46.38 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1284/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 "क" के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए एक बार में क्रय की गयी विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत दवाओ के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओ से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधियों के नमूनो की जाँच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जाँचकर्ता फर्मो के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जाँच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार के औषधियो के अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चिकित्सालय द्वारा 01/2017 से 03/2018 तक की अवधि में ₹ 46.38 लाख की औषधियाँ क्रय की गयी। क्रय की गयी औषधियों के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जिससे स्पष्ट था कि चिकित्सालय के द्वारा बिना गुणवत्ता की जाँच किए औषधियाँ आम जनता को वितरित कर दी गयी तथा चिकित्सालय के द्वारा शासनदेश के प्रावधानों में वर्णित नियमो का उलल्घन किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा जिला चिकित्सालय के द्वारा औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर उनका विश्लेषण नहीं कराया गया। विश्लेषण नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि समयाभाव के कारण नहीं कराया गया भविष्य में विश्लेषण कराये जाने का ध्यान रखा जायेगा।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार औषधियों की गुणवत्ता ख्याति प्राप्त फर्म से करायी जानी थी लेकिन चिकित्सालय के द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये ₹ 46.38 लाख की औषधियों का क्रय करने के पश्चात 20 प्रतिशत नमूने लेकर अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से उनका विश्लेषण नहीं कराया गया।

अतः 46.38 लाख मूल्य की औषधियों की नियमानुसार गुणवत्ता जाँच नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2- यूजर चार्जेज से प्राप्त धराशि ₹ 33.20 लाख का विलंब से जमा कराया जाना।

Receipts and Payments rules, 1983. के नियम 13. General instructions for handing cash.- के अनुसार

(ii) All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the Head of the Office in token of check.

(iii) The cash book should be closed regularly and completely checked. The Head of the Office should verify the totalling of the cash book or have this done by some responsible subordinate other than the writer of the cash book and initial it as correct.

(iv) At the end of each month, Head of the Office should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated certificate to that effect.

General Financial Rules, 2005 के Rule 275. Furnishing of security by Government servants handling cash:

(1) Subject to any general or special instructions prescribed by Government in this behalf, every Government servant, who actually handles cash or stores shall be required to furnish security, for such amount and in such form as Central Government or an Administrator may prescribe according to circumstances and local conditions in each case, and to execute a security bond setting forth the conditions under which Government will hold the security and may ultimately refund or appropriate it.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की हरिद्वार के यूजर चार्जेज से सम्बन्धी लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया वर्ष 2016-17 से 2017-18 के मध्य यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि में से कुल ₹ 33,19,700/- को रक्त कोष द्वारा दो दिन से लेकर तीन महीने विलंब से लेखा विभाग को जमा किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वर्णित नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। चिकित्सालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक रक्त कोष से प्राप्त यूजर जार्जेज का विवरण संलग्न (A) है। रक्त कोष अधिकारी/कर्मचारी को रक्त कोष से प्राप्त यूजर चार्जेज को रखने हेतु Security bond जमा नहीं कराया गया था, जिससे यूजेर्स चार्जेज से प्राप्त धनराशि खोजाने/चोरी होने की स्थिति में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई होगी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि को रक्त कोष के एल0टी0 द्वारा विलम्ब से जमा की गयी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस0जे0एन0एस0एस0 संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, हरिद्वार, को यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक/राजकोष जमा किया जाना चाहिए था।

अतः यूजर चार्जेज से प्राप्त धनराशि ₹ 33,19,700/- को रक्त कोष द्वारा दो दिन से लेकर तीन महीने विलंब से जमा कराया जाना एवं Security bond जमा नहीं कराए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 3- धनराशि रु. 29.95 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग-4) के बिन्दु संख्या 11 में यह निर्देशित किया गया था कि "प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होगी एवं औषधि के प्रत्येक लेबल कार्टन व अन्य पैंकिग प्रदर्शन पर "UKG सप्लाई", नॉट फार सेल" इंडेलिबल इंक से लिया जाना अनिवार्य होगा।" औषधियों की पैंकिग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेशन ही मान्य होगें।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई को कुल रु. 29,94,858/- (संलग्नक-A) मूल्य की ऐसी औषधियाँ महानिदेशालय (चिकित्सा) एवं कार्यालय को निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया, जिनके भुगतानित वाउचर पर औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा औषधि के निर्माण की तिथि (Manufacturing date) अंकित नहीं किया गया था या तीन महीने से अधिक पुरानी थी। औषधि के निर्माण की तिथि (Manufacturing date) अंकित नहीं किए जाने के कारण औषधि-निर्माता/फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कितनी अधिक पुरानी औषधियों की सप्लाई की गई थी, औषधि-निर्माता/फर्म के बिल के अनुसार ज्ञात किया जाना संभव नहीं था। निर्माण तिथि से जितनी अधिक पुरानी औषधियों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय में उपयोग हो सकेगा।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि महानिदेशालय एवं संबंधित औषधि-निर्माता/फर्म से भविष्य में उक्त शासनादेश का अनुपालन करने हेतु पत्राचार किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शाससनादेश संख्या 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग-4) के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार द्वारा औषधि-निर्माता/फर्म को कुल धनराशि (रु. 29,94,858/-) का औषधि क्रय कर, भुगतान किया गया था।

अतः धनराशि रु. 29.95 लाख के औषधियों के अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 4- धनराशि रु. 1.61 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार के उपकरणों/सामग्रियों संबंधी लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1994 से वर्ष 2008 के मध्य कुल क्रय धनराशि रु. 1,60,641/- के फर्नीचर/अन्य सामग्री (अनुलग्नक-A), एवं वाहन संख्या यू.ए. 007A3744 एवं यू.ए. 07डी.2047 को क्रमशः दिनांक 14.04.2014 एवं 10.07.2014 से ऑफ रोड घोषित किये गये थे। जिसकी लेखापरीक्षा तिथि तक नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की हरिद्वार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की कार्यवाही गतिमान है" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त सामग्रियों को और मूल्य ह्रास एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5- धनराशि रु. 7.74 लाख की सामग्री/औषधि/उपकरण/रसायन का क्रय टुकडों में किया जाना।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग-4) के बिन्दु संख्या 32 में यह निर्देशित किया गया था कि "दो बार निविदा करने के पश्चात यदि किसी औषधि, सर्जिकल सूचर एवं अन्य सामग्री जो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, का क्रय ई.एस.आई.सी. की दर से अनुबंध की न्यूनतम दर से क्रय शासन के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकता है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त नियमों के विपरीत इकाई द्वारा कुल रु. 7,74,618/- की सामग्री/औषधि/उपकरण/रसायन का क्रय बिना दर सूची (कोटेशन) के किया गया जबकि उक्त सामग्री का क्रय समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका विवरण निम्न हैः-

Sr. No.	Indent No	Date	Name of firm	Bill No.	Date	Amount
1.	1469	15/04/2017	BSP Diagnosis System	169	21/04/2017	42725
2.	1470	15/04/2017	BSP Diagnosis System	170	21/04/2017	48624
3.	1466	15/04/2017	Sunil Pharma	19988	20/04/2017	30025
4.	1468	15/04/2017	BSP Diagnosis System	277	04/05/2017	45150
5.	2513	27/12/2016	Compact dig	83	25/04/2017	14280
6.	2512	27/12/2016	Compact dig	84	25/04/2017	41580
7.	1473	27/05/2017	Sunil Pharma	20113	27/05/2017	42000
8.	1475	27/05/2017	Sunil Pharma	20112	27/05/2017	39000
9.	1474	27/05/2017	Sunil Pharma	20114	29/05/2017	28750
10.	1472	27/05/2017	Hindustan medicos	0129	05/06/2017	25683
11.	1478	27/05/2017	BSP Diagnosis System	515	06/06/2017	48927
12.	1479	27/05/2017	BSP Diagnosis System	516	06/06/2017	48624
13.	1477	27/05/2017	BSP Diagnosis System	514	06/06/2017	45150
14.	1476	27/05/2017	Diagnob Incorporation	3730	30/05/2017	16500
15.	1491	03/06/2017	Diagnob Incorporation	3741	14/06/2017	32500
16.	1486	02/06/2017	Diagnob Incorporation	3742	15/06/2017	42500
17.	1487	02/06/2017	Diagnob Incorporation	3739	12/06/2017	44000
18.	1485	02/06/2017	Sunil Pharma	20184	17/06/2017	25000
19.	1489	03/06/2017	Diagnob	3744	17/06/2017	44000

			Incorporation			
20.	1493	15/06/2017	Diagnob Incorporation	3745	17/06/2017	48600
21.	1495	15/06/2017	Scientific enterprises	0136	24/06/2017	21000
					Total	**774618/-**

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि क्रय समिति की संस्तुति से बचने के लिए सामग्री का क्रय टुकड़ों में किया गया। जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

इन संदर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि सामग्री/औषधि/उपकरण/रसायन का क्रय, क्रय समिति के माध्यम से भविष्य में किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या 932/XXVII-4-2014-28(8)2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग-4) के दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार द्वारा, औषधि निर्माता फर्म द्वारा कुल क्रय समिति की संस्तुति से बचने के लिए कुल रु. 7,74,618/- की सामग्री/औषधि/उपकरण/रसायन का क्रय में किया गया। जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

अतः धनराशि रु. 7.74 लाख की सामग्री/औषधि/उपकरण/रसायन का क्रय टुकड़ों में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भागप्रस्तर (अ)दो-संख्या	भागप्रस्तर संख्या (ब)दो-	STAN
SS/AIR- 35/2012-13	02	02	NIL
SS/AIR -48/2007-08	01	02	NIL
SS/AIR -130/2016-17	NIL	01	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR- 35/2012-13	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या-2 एवं भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या-2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/AIR -48/2007-08	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या-1 एवं भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या-2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--
SS/AIR -130/2016-17	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या -2 एवं स्टैन प्रस्तर संख्या-1,2	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) NHM Related Budget

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ संजय केसल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	08.03.2016 से 20.07.2016
डॉ अरविन्द कुमार मिश्रा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	20.07.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एन.एस.एस. संयुक्त चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र